न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
01/2020	18-03-2020	27/12/21

नाम :-

1. पुनीता देवी पत्नी स्व0 श्री नारायणसिंह
2. राजेश पुत्र स्व0 श्री नारायणसिंह
3. पुनीता पत्नी स्व0 श्री राकेश यादव पुत्र स्व0 श्री नारायणसिंह
4. सौलिनी यादव पुत्री स्व0 श्री राकेश यादव पुत्र स्व0 श्री नारायणसिंह
5. पारस यादव पुत्र स्व0 श्री राकेश यादव पुत्र स्व0 श्री नारायणसिंह जाति अहीर निवासीगण ग्राम कर्नपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान)।

-----:: अपीलान्टान

(ब ना म)

1. सरपंच ग्राम पंचायत ततारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
2. दौलतराम पुत्र नानला जाति स्वामी निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर
3. परमेश्वरी देवी पत्नी धर्मपाल फर्जी नाम असल नाम धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ
4. मंगल पुत्र धर्मपाल फर्जी नाम असल नाम धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ
5. बल्ले पुत्री धर्मपाल फर्जी नाम असल नाम धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ
6. गोमा पुत्री धर्मपाल फर्जी नाम असल नाम धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ
7. उर्मिला पुत्री धर्मपाल फर्जी नाम असल नाम धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ
8. सरोज पुत्री धर्मपाल फर्जी नाम असल नाम धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ
9. रीना पुत्री धर्मपाल फर्जी नाम असल नाम धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ जाति स्वामी निवासीगण ग्राम झिवाणा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
10. छब्बन पुत्र शान्ति जाति स्वामी निवासी ग्राम डूंगरवास तहसील व जिला रेवाडी
11. राजबाला पुत्री शान्ति जाति स्वामी निवासी ग्राम कोटपूतली जिला जयपुर

-----:: रेसपोडेन्टान

आज्ञा विरूद्ध इंतकाल संख्या 180 दिनांक 04.03.2020,
वाके ग्राम छापर ग्राम पंचायत ततारपुर तहसील तिजारा

-:: निर्णय ::-

यह अपील अपीलान्ट निम्न पेश है कि वाके ग्राम छापर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित खसरा नम्बर 369/394 रकबा 0.01 है0, 375 रकबा 0.73 है0 किता 2 कुल रकबा 0.74 है0 खसरा नम्बर 365 रकबा 0.18 है0 में से 0.13 है0 एवं आराजी खसरा नम्बर 369 रकबा 0.09 है0, रकबा 0.73 है0 किता 2 कुल रकबा 0.82 है0 भूमि जो कि मामला पुत्र नानगा की कब्जे काश्त की आराजी थी। जिस पर मामला पुत्र नानगा अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल होकर

भोग उपभोग करता रहा है। जिसके नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन दर्ज रिकार्ड है। मामला की मृत्यु उपरान्त उसका एक मात्र पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दौलतराम आराजी पर काबिज व दाखिल होकर भोग उपभोग करना आरम्भ कर दिया तथा मामला एक मात्र वारिस होने के नाते रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दौलतराम के नाम विरासत इंतकाल संख्या 180 दर्ज दिनांक 12.10.87 व स्वीकार दिनांक 14.10.87 को तहसीलदार एपुकला द्वारा मामला के वारिस की जाँच पड़ताल कर तन्हा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दौलतराम के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विरासत इंतकाल संख्या 180 के आधार पर अंकन दर्ज हो आ गया। उक्त वर्णित आराजी जोकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दौलतराम को अपने पिता मामला से विरासत से प्राप्त हुई थी और विधि अनुसार जाँच पड़ताल कर उनके नाम इंतकाल दर्ज व स्वीकार होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन आया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दौलतराम उक्त वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया और उक्त आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 0.73 है0 व आराजी खसरा नम्बर /394 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम छापर का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दौलतराम ने मिन अपीलान्टा संख्या 1 सुशीला को जरिये रजि. बयनामा दिनांक 17.02.1988 को बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर बयनामा उपपंजीयक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर रूबरू गवाहान निष्पादित करा दिया। मिन अपीलान्टा संख्या 1 सुशीला वर्णित आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 0.73 है0 व आराजी खसरा नम्बर 369/394 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम छापर पर वक्त खरीद से ही काबिज व दाखिल चली आ रही है और विधि सम्मत बयनामा दिनांक 17.02.1988 के अनुसार मिन अपीलान्टा संख्या 1 सुशीला के नाम इंतकाल संख्या 189 दिनांक 06. .88 दर्ज व स्वीकार होकर मिन अपीलान्टा संख्या 1 सुशीला के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन है, जो आज दिन तक बदस्तूर चला आ रहा है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा 365 रकबा 0.18 है0 व आराजी खसरा नम्बर 369 रकबा 0.09 है0, 374 रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दौलतराम ने मिन अपीलान्ट संख्या 2 राजेश यादव, मिन अपीलान्टान 3 लगायत 5 के पिता/पति स्व0 श्री राकेश यादव के हक में जरिये रजि. बयनामा दिनांक 17.02. को बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर बयनामा उपपंजीयक महोदय, के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दौलतराम ने गवाहान निष्पादित करा दिया। आराजी खसरा नम्बर 365 रकबा 0.18 है0 व आराजी खसरा नम्बर रकबा 0.09 है0, 374 रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम छापर पर मिन अपीलान्ट संख्या 2 राजेश यादव व यादव वक्त खरीद से ही काबिज व दाखिल होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा विधि बयनामा दिनांक 17.02.1988 के अनुसार इंतकाल संख्या 188 मिन अपीलान्ट संख्या 2 राजेश यादव यादव वक्त खरीद से ही काबिज व दाखिल होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा विधि बयनामा दिनांक 17.02.1988 के अनुसार इंतकाल संख्या 188 मिन अपीलान्ट संख्या 2 राजेश यादव यादव के नाम दर्ज व स्वीकार होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन आया है। राकेश यादव हो चुका है और उसके मरने के बाद उसके विधिक वारिसान अपीलान्टान संख्या 3 लगायत 5 खरीदशुदा भूमि पर बतौर खातेदार काबिज व दाखिल चले आ रहे है। धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ ने तरीके से अपना दस्तावेजात में नाम धर्मपाल पुत्र मामला के रूप में परिवर्तित कराकर एवं स्वयं को की सन्तान एवं विधिक वारिस बताकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दौलतराम के हक में दर्ज हुये इंतकाल 80 की अपील संख्या 81/99 माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलैक्टर द्वितीय अलवर के समक्ष

खाता संख्या 180 दर्ज व मंजूर होने के 16-17 साल बाद दायर कर दी। अपील दायर करते समय प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 तथा 3 लगायत 6 के फौत/जिन्दा होने बाबत इन्तकाल संख्या 180 में दर्ज [illegible] व अपील [illegible] कार्यवाही व जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड खातेदारान में दर्ज [illegible] [illegible] दर्ज रिकॉर्ड था। किन्तु उनके वारिसान [illegible] अपील में दायर की गई अपील में उन प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 तथा 3 लगायत 6 के फौत/जिन्दा होने को अपील में पक्षकार [illegible] नहीं बनाया। केवल प्रत्यर्थी संख्या 2 दौलतराम को ही अपील में पक्षकार बनाया व जिसका भी [illegible] एवं दौलतराम की गलत [illegible] अपील संख्या 31/85 [illegible] 14.11.2006 को न्यायालय की मुनासिब कर मंजूर कर दी और इन्तकाल संख्या 180 के प्रकरण को [illegible] कर दिया। इस तथ्य की जानकारी अपीलान्टगण को होने पर व माननीय न्यायालय अतिरिक्त [illegible] द्वितीय अजमेर के आदेश से प्रभावित पक्षकार होने से अपीलान्टगण ने प्रत्यर्थीगण संख्या 2 दौलतराम [illegible] मंजूर कर व माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, द्वितीय अजमेर के निर्णय दिनांक 14.11 [illegible] निगरानी अपील संख्या 2/2006 माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष दायर की। [illegible] निर्णय दिनांक 21.10.2011 को माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा करते हुए [illegible] अतिरिक्त कलेक्टर द्वितीय अजमेर के निर्णय दिनांक 14.11.2006 को अपास्त कर दिया और [illegible] इन्तकाल संख्या 180 दर्ज दिनांक 12.10.83 व स्वीकार दिनांक 16.10.83 को नायब तहसीलदार [illegible] कोई विधिक त्रुटि नहीं है व इसे सही माना। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, [illegible] द्वारा के पारित निर्णय दिनांक 21.10.2011 के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण संख्या 3 लगायत 10 ने एक [illegible] संख्या 1186/2011 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दायर की। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर [illegible] 11.05.2016 को निर्णय पारित किया गया है। जिसमें इन्तकाल को खारिज करते हुए [illegible] मामला [illegible] वारिसान की जाँच कर पुनः इन्तकाल दर्ज करने के आदेश माननीय ग्राम पंचायत खिताणा को [illegible]। नायब तहसीलदार टपूकड़ा ने पत्र क्रमांक 2019/1083/1 दिनांक 20.12.2019 को अपील [illegible] बनाम दौलतराम के पारित निर्णय की पालना करने हेतु ग्राम पंचायत [illegible] को प्रेषित किया, [illegible] मामला पुत्र नानगा के वारिसान की जाँच होनी थी। इसी प्रकार नायब तहसीलदार टपूकड़ा [illegible] पत्र क्रमांक मु.अ./2019/1083/2 को अपील प्रकरण [illegible] बनाम दौलतराम के पारित निर्णय [illegible] करने हेतु ग्राम पंचायत खिताणा को प्रेषित किया, जिसमें मृतक मामला पुत्र नानगा के वारिसानों [illegible] होनी थी। प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ग्राम पंचायत के सरपंच ने ग्राम पंचायत खिताणा के सरपंच व [illegible] संख्या 3 लगायत 10 से सांठ-गांठ होकर प्रत्यर्थीगण संख्या 2 दौलतराम व हम अपीलान्टगण को [illegible] व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये और ना ही इश्तहार चौपाल चस्पा कराये बिना [illegible] दिनांक 21.11.2019 को ग्राम पंचायत खिताणा की जाँच रिपोर्ट के आधार ग्राम [illegible] के [illegible] 180 में दर्ज वारिसान ग्राम [illegible] के निवासी ना होकर खिताणा के निवासी है। [illegible] की वारिसान जाँच अनुसार कार्यवाही की जावें। जो आदेश हस्तक्षेप से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः ग्राम पंचायत [illegible] ग्राम पंचायत [illegible] आदेश [illegible] ग्राम [illegible] तहसील [illegible] संख्या 180 की जाँच रिपोर्ट दिनांक 21.12.2019 व जिसके आधार पर नायब तहसीलदार टपूकड़ा [illegible] 04.06.2020 को प्रत्यर्थीगण संख्या 2 लगायत 12 के हक में विरासत अनुसार स्वीकार किया है,

। अपास्त किया जाकर इंतकाल संख्या 180 दर्ज दिनांक 12.10.87 व स्वीकार दिनांक 14.10.87 वाके ग्राम पर की सही मानकर व उसके आधार पर हम अपीलान्टान ने वर्णित आराजी बाकब्जा, बाप्रतिफल खरीद है व इंतकाल संख्या 188 व 189 हम अपीलान्टान के नाम दर्ज व स्वीकार होकर राजस्व रिकार्ड में हन आया है, को बदस्तूर रखने के आदेश फरमाने की कृपा करें एवं अपीलान्टान अपील स्वीकार फरमाई वें।

अपील दर्ज पंजीका की गई। प्रस्तुत अपील पर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गई। पोडेन्ट संख्या 3 व 5 की ओर से वकील उपस्थित रहे है। अन्य रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट ने ही बहस करने का निवेदन किया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी।

हमने वकुलाय फरीकैन की बहस सुनी। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का कथन है कि आलौच्य इंतकाल या 180 नायब तहसीलदार टपूकडा द्वारा स्वीकार किया गया है जिसकी अपील सुने का क्षेत्राधिकार इस ालय को प्राप्त नहीं होने के कारण प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

अतः अतः अपील अपीलान्टा खारिज की जाती है।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)